संख्या-8/05/47-का-3-2015-13/10/2005टी.सी.

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 06 फरवरी, 2015**

विषय- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राष्ट्रीयकृत बैंको में बचत खाता खोले जाने की अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-219/लेखा-आयोग/2014-1/1(7)/2014, दिनांक 30.12.2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों में प्राप्त होने वाले शुल्क को जमा कराने तथा अन्य विविध वित्तीय कार्यो के निस्तारण हेतु भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक में शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21.03.2012 में अंकित प्राविधानों/ शर्तों के अन्तर्गत बचत खाता खोले जाने की इस शर्त के साथ सहर्ष सहमति प्रदान करते है कि उक्त खातों का संचालन आयोग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा खातों का नियमानुसार रख-रखाव किया जायेगा। लेखों का मिलान बैंकों से नियमानुसार समय-समय पर कराया जायेगा। खातों के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

2- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-157-ई-5/दस-2015, दिनांक 06 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/05(1)/47-का-3-2015-13/10/2005टी.सी., तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in